Nº 514313 **Himachal Government** [illegible]

R.S

वसीयत नामा।

Identified by [illegible]
[illegible]
Tehsil
[illegible]
24/1/98

मैं कि बलवन्त सिंह पुत्र श्री मस्त राम वासी जेहर तह: Pachhad
जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश का हूँ।

जो कि उर्जाहिर की आयु इस समय लगभग 65 साल की हो चुकी
है। यह जिन्दगी गुजरानी व गुजारनी है। न जाने कब और
किस जगह यह रूह इस कालबे उनसरी से परवाज कर जावे।
मेरे औलाद नरीना नहीं है। चार लड़कियां सर्व श्रीमति क्षमा देवी व
शीला देवी और नीता देवी व कुमारी लता देवी है। जिन में से मैं
अव्वल-उल-जिकर तीन लड़कियों की शादी कर चुका हूँ और जो
कुछ मैं ने उन को देना था वह मैं अपनी लड़कियों को दे चुका हूँ।
केवल कुमारी लता देवी की शादी करनी बाकी है। श्रीमति इन्दु देवी
मेरी बीवी है जो कि हीन हयात है। मैं अपनी जायदाद की वसीयत
करना चाहता हूँ ताकि बाद वफात मेरी मेरी जायदाद की निसबत
मेरे वारिसान कागजात में झगड़ा पैदा न होवे। अत: उर्जाहिर बसेहत
नफस व सबात अकल होश व हवास रखता हुआ बिला तरगीब
व जबर दीगर बरजाए रजामन्द खुद बजरिये तहरीर हजा वसीयत
करता और लिख देता हूँ कि बाद वफात मेरी मेरी कुलह जायदाद
मनकुला व गैर मनकुला हर किस्म जहां कहीं पर भी है या आइन्दा
होगी के मालिक श्री मति इन्दु देवी जौजा और व श्रीमति
क्षमा देवी दुखतर और बहिस्सा बराबर होगी। (श्रीमति क्षमा देवी
अरसा से मेरे ही पास मैं रह कर मेरी तथा मेरी बीवी की
सेवा करती आ रही है) दीगर किसी भी शख्स को मेरी
जायदाद मन्कूला व गैर मन्कूला से कोई सरोकार न होगा। अगर
कोई शख्स दावेदार होगा तो वह झूठा होगा। और
आइन्दा में भी देना होगा, हिस्सेदारी के नाम के दिया गया लिहाजा।

№ 514315 Himachal Government Judicial

ही को उक्त लेन देन का जिम्मेवार होगा और बाद वफात
मेरे उक्त क्रिया कर्म मुताबिक धर्मशास्त्र करने के भी जिम्मेवार
होंगे। श्रीमति कृष्णा देवी और चन्द्रा देवी का फर्ज होगा कि अगर
मुताहिर कुमारी लता देवी की शादी से पहले वफात पा जाए
तो कुमारी लता देवी की शादी की जिम्मेवारी करनी भी होगी।
वसीयत हजा का नफाज़ मेरे मरने के बाद होगा। अतः
यह चन्द कलमात बतौर वसीयत नामा के रूबरू
गवाहान के लिखे कि सनद रहे व काम आवे। मिति 26/9/90

गवाह		गवाह
श्री ईश्वर दास पुत्र श्री बहादुर सिंह	बलवन्त सिंह	श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह
वासी ...	वसी	वासी ...
ईश्वरदास	बलवन्तसीह	सुन्दर सिंह

Sirmour (H.P.)